भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1708

जिसका उत्तर मंगलवार, 8 मार्च, 2016/18 फाल्गुन, 1937 (शक) को दिया जाना है।

डीएपी और जैविक खाद पर राजसहायता

1708+.डॉ. सत्यपाल सिंह:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का डीएपी संबंधी राजसहायता की राशि प्रत्यक्ष रूप से किसानों के खातों में अंतरित करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का यूरिया, फॉस्फोरस जैसे अजैविक खादों की तर्ज पर जैविक खाद संबंधी पर्याप्त राजसहायता देने का विचार है, ताकि जैविक खेती के माध्यम से उत्पादित अनाजों, फलों और सब्जियों को कम कीमतों पर उपलब्ध कराया जा सके; और

(ग) क्या सरकार का नई कृषि पद्धति विकसित कर/नियमों में सुधार कर जैविक उपज/उत्पाद हेतु बाजार प्रदान करने का विचार है?

उत्तर
रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर)

(क): सरकार किसानों के खातों में डीएपी पर राजसहायता सहित उर्वरक राजसहायता को अंतरित करने की विभिन्न संभावनाओं का पता लगा रही है।

(ख): जी हां। सरकार राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए), परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीआई) और शहरी कंपोस्ट के प्रोन्नयन की नीति के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के माध्यम से जैविक उर्वरकों पर राजसहायता मुहैया करा रही है।

(ग): एनएमएसए में फल/सब्जी बाजार अपशिष्ट/कृषि अपशिष्ट से कंपोस्ट उत्पादन की यांत्रिक इकाई की स्थापना करने का प्रावधान है। पीकेवीआई में भागीदारी गारंटी प्रणाली (पीजीएस) प्रमाणन के अंतर्गत समूह दृष्टिकोण के माध्यम से जैविक कृषि अपनाने की व्यवस्था है। शहरी कंपोस्ट प्रोन्नयन की नीति में उत्पादन और उत्पाद की खपत के प्रबंधन हेतु शहरी कंपोस्ट के लिए 1500 रुपए प्रति. टन की बाजार विकास सहायता (एमडीए) की व्यवस्था है।

****